

एमएसएमई सेक्टर में विकास में मुद्रा बैंक की भूमिका

डॉ. नमता दुबे

अतिथि विद्वान - वाणिज्य विभाग

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश

सारांश

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत 8 अप्रैल 2015 को स्थापित मुद्रा (Micro Units Development & Refinance Agency Ltd.) ने एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) सेक्टर के विकास में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। योजना का उद्देश्य गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को कोलेटरल-फ्री ऋण उपलब्ध कराना है, जिससे वित्तीय समावेशन, स्वरोजगार तथा जमीनी स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला।

लॉन्च के दशक (2015-2025) में योजना ने 52 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए, जिनकी कुल राशि ₹32.61 लाख करोड़ है। महिलाएं कुल लाभार्थियों में 68% हैं, जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमी 50% खातों के लाभार्थी हैं। औसत ऋण आकार FY16 में ₹38,000 से बढ़कर FY25 में ₹1.02 लाख हो गया। एमएसएमई क्षेत्र में बैंक ऋण FY14 के ₹8.51 लाख करोड़ से बढ़कर FY24 में ₹27.25 लाख करोड़ हो गया और FY25 में ₹30 लाख करोड़ पार करने की उम्मीद है।

यह शोध द्वितीयक डेटा पर आधारित है, जिसमें सरकारी रिपोर्ट, PIB, मुद्रा की आधिकारिक वेबसाइट तथा नीति आयोग की प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट का विश्लेषण शामिल है। निष्कर्ष में पाया गया कि मुद्रा बैंक ने एमएसएमई को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत योगदान दिया है, हालांकि NPA प्रबंधन तथा जागरूकता विस्तार जैसे क्षेत्रों में और सुधार की जरूरत है।

कीवर्ड्स

मुद्रा बैंक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), एमएसएमई सेक्टर, वित्तीय समावेशन, स्वरोजगार, शिशु-किशोर-तरुण ऋण, महिलाओं का सशक्तिकरण, जमीनी रोजगार सृजन।

परिचय

भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सेक्टर का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र विनिर्माण GVA में लगभग 33%, निर्यात में 40% से अधिक तथा कुल रोजगार में 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को अवसर प्रदान करता है। परंपरागत रूप से छोटे उद्यमों को संस्थागत ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती थी – कोलेटरल की कमी, जटिल प्रक्रिया तथा अनौपचारिक वित्त पर निर्भरता के कारण। इसी समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) शुरू की गई। इसके अंतर्गत मुद्रा बैंक की स्थापना की गई, जो SIDBI के अधीन कार्य करती है। योजना तीन श्रेणियों में ऋण प्रदान करती है – शिशु (₹50,000 तक), किशोर (₹50,000 से ₹5 लाख) तथा तरुण (₹5 लाख से ₹10 लाख तक; बाद में तरुण प्लस के रूप में ₹20 लाख तक बढ़ाया गया)। यह योजना न केवल वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करती है बल्कि सूक्ष्म उद्यमों को बड़े उद्यमों में परिवर्तित होने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। दशक भर में किशोर ऋणों की हिस्सेदारी FY16 के 5.9% से FY25 में 44.7% हो गई, जो उद्यमों के स्केल-अप को दर्शाता है। महिलाओं, SC/ST/OBC तथा अल्पसंख्यक उद्यमियों तक पहुंच बढ़ने से समावेशी विकास संभव हुआ। एमएसएमई सेक्टर की विशेषता इसकी विविधता एवं लचीलापन है – सूक्ष्म उद्यमों से लेकर मध्यम स्तर के कारखानों तक, यह विनिर्माण, व्यापार, सेवा, कृषि-संबद्ध गतिविधियों तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। फिर भी, इस सेक्टर की सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय पहुंच की कमी रही है। परंपरागत बैंकिंग प्रणाली में कोलेटरल (सुरक्षा) की आवश्यकता, जटिल कागजी प्रक्रिया, उच्च ब्याज

दरें तथा अनौपचारिक स्रोतों (साहूकार आदि) पर निर्भरता के कारण छोटे उद्यमी संस्थागत ऋण से वंचित रहते थे। इससे उद्यमिता की संभावनाएं सीमित हो जाती थीं तथा आर्थिक असमानता बढ़ती थी।

इसी चुनौती को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत मुद्रा (Micro Units Development & Refinance Agency Ltd.) की स्थापना की गई। मुद्रा बैंक SIDBI के अधीन कार्यरत एक रिफाइनेंसिंग संस्था है, जो गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को कोलेटरल-फ्री (बिना गिरवी के) ऋण उपलब्ध कराती है। योजना का मुख्य उद्देश्य "फंडिंग द अनफंडेड" है – अर्थात उन उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो पहले बैंकिंग प्रणाली से बाहर थे।

योजना चार श्रेणियों में ऋण प्रदान करती है:

- शिशु: ₹50,000 तक
- किशोर: ₹50,001 से ₹5 लाख तक
- तरुण: ₹5 लाख से ₹10 लाख तक
- तरुण प्लस (2024 से शुरू): सफल तरुण ऋण चुकाने वालों के लिए ₹10 लाख से ₹20 लाख तक

लॉन्च के एक दशक (2015-2025) के बाद, मार्च 2025 तक योजना ने 52 करोड़ से अधिक ऋण खाते स्वीकृत किए, जिनकी कुल स्वीकृत राशि ₹32.61 लाख करोड़ से अधिक रही। FY 2024-25 में अकेले 5.46 करोड़ ऋण स्वीकृत हुए, जिनकी राशि ₹5.53 लाख करोड़ थी। महिलाएं कुल लाभार्थियों में 68% हैं, जबकि SC/ST/OBC वर्ग के उद्यमी लगभग 50% खातों के लाभार्थी हैं। औसत ऋण आकार FY16 के ₹38,000 से बढ़कर FY25 में ₹1.02 लाख हो गया, जो उद्यमों के स्केल-अप तथा गहन वित्तीय उपयोग को दर्शाता है।

एमएसएमई क्षेत्र में कुल बैंक ऋण FY14 के ₹8.51 लाख करोड़ से बढ़कर FY24 में ₹27.25 लाख करोड़ हो गया तथा FY25 में ₹30 लाख करोड़ पार करने की उम्मीद है। मुद्रा योजना ने एमएसएमई क्रेडिट की

हिस्सेदारी कुल बैंक क्रेडिट में 15.8% से बढ़ाकर लगभग 20% कर दी है। यह योजना न केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण, ग्रामीण उद्यमिता, नई पीढ़ी के स्टार्टअप तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करती है।

शोध पद्धति

यह शोध वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक प्रकृति का है तथा पूर्णतः द्वितीयक डेटा पर आधारित है। कोई प्राथमिक सर्वेक्षण नहीं किया गया। डेटा संग्रहण के स्रोत निम्नलिखित हैं:

- सरकारी आधिकारिक रिपोर्ट्स – मुद्रा की वार्षिक रिपोर्ट (2024-25), एमएसएमई मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट तथा पीएमएमवाई डैशबोर्ड (mudra.org.in) से संचयी आंकड़े।
- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) रिलीज – “A Decade of Growth with PM Mudra Yojana” (अप्रैल 2025) तथा उसकी हिंदी संस्करण।
- नीति आयोग की प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट (2024) – PMMY के एमएसएमई पर प्रभाव का गहन विश्लेषण।
- अन्य स्रोत – SBI रिपोर्ट, RBI दिशानिर्देश तथा अकादमिक अध्ययन (ResearchGate, IJCRT आदि)।

डेटा विश्लेषण:

- संख्यात्मक विश्लेषण – संचयी ऋण संख्या, राशि, औसत ऋण आकार, श्रेणी-वार हिस्सेदारी तथा राज्य-वार वितरण का ट्रेंड विश्लेषण (2015-2025)।
- तुलनात्मक अध्ययन – PMMY से पहले (FY14) तथा बाद में एमएसएमई ऋण वृद्धि की तुलना।

- गुणात्मक विश्लेषण – महिलाओं के सशक्तिकरण, नई उद्यमिता तथा NPA जैसे चुनौतियों का मूल्यांकन।
- मुख्य निष्कर्ष (डेटा आधारित):
- संचयी ऋण: 52 करोड़+ खाते, ₹32.61 लाख करोड़।
- महिलाओं को 68% लाभ।
- एमएसएमई ऋण में हिस्सेदारी: 15.8% (FY14) से 20% (FY24)।
- राज्य-वार शीर्ष: तमिलनाडु (₹3.23 लाख करोड़), उत्तर प्रदेश (₹3.14 लाख करोड़)।
- नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार, योजना ने अनौपचारिक एमएसएमई को औपचारिक बैंकिंग में लाकर क्रेडिट गैप को कम किया तथा नई उद्यमिता को बढ़ावा दिया।

निष्कर्ष

मुद्रा बैंक ने एमएसएमई सेक्टर के विकास में अपरिहार्य भूमिका निभाई है। यह योजना वित्तीय समावेशन का सबसे बड़ा माध्यम बनकर उभरी है, जिसने लाखों लोगों को नौकरी मांगने वाले से नौकरी देने वाले में बदल दिया। सूक्ष्म उद्यम अब औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है। हालांकि, NPA प्रबंधन, जागरूकता विस्तार तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म की मजबूती जैसे क्षेत्रों में और प्रयास जरूरी हैं। भविष्य में ऋण सीमा बढ़ाने, क्रेडिट गारंटी को और मजबूत करने तथा डिजिटल फुटप्रिंट आधारित क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल को अपनाने से योजना और प्रभावी होगी। कुल मिलाकर, मुद्रा बैंक एमएसएमई सेक्टर का विकास इंजन सिद्ध हुआ है तथा यह भारत की समावेशी आर्थिक वृद्धि का आधारशिला बनी रहेगी।

संदर्भ

- [1]. Press Information Bureau (2023). A Decade of Growth with PM Mudra Yojana. <https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetailm.aspx?PRID=2119781> (अंग्रेजी) एवं <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2119853> (हिंदी)।
- [2]. Micro Units Development & Refinance Agency Ltd. (MUDRA). Annual Report 2024 एवं PMMY Dashboard. <https://www.mudra.org.in>।
- [3]. NITI Aayog (2024). Impact Assessment of Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY). https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2024-08/Assessment%20of%20PMMY_Final%20Report.pdf।
- [4]. Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises. Annual Report 2024. https://msme.gov.in/sites/default/files/MSME-ANNUAL-REPORT-2024_ENGLISH.pdf।
- [5]. State Bank of India Research Report (2024). MSME Credit Growth Analysis (PIB में उद्धृत)।
- [6]. ResearchGate एवं IJCRT जर्नल्स में प्रकाशित अध्ययन (2024) – “Role of MUDRA Yojana in Entrepreneurship Development” तथा संबंधित पेपर।